RIGHT TO INFORMATION

**HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: BENCH AT INDORE**
**FORM –'D'**
**REJECTION ORDER**
**(See Rule 4(2))**

**No.RTIA/JR(M)-HCIND/** 413 **Indore, Dated 25.02.2020**

प्रेषक :

ज्वाईंट रजिस्ट्रार,
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ, इन्दौर

प्रति,

श्री विकास कुमार तिवारी,
पता– सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,
सावेर जिला–इन्दौर (म.प्र.)
मोबाईल नंबर–9977062857

**सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाओं को प्रदान के संबंध में अधिसूचना को संबोधित करने के लिए कृपया आपका आवेदन जो कि हमारे आवक क्रमांक 383 दिनांक 25/02/2020 के माध्यम से प्राप्त हुआ होकर आई.डी. संख्या 11/2020–2021 दिनांक 25/02/2020 में पंजीकृत है देखें।**

**आपके द्वारा संदर्भित आवेदन पत्र अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी चाही गयी है :–**

**"1. WP-25795-2019 दिनांक 06.01.2020 माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश। (अभिप्रमाणित प्रति)"**
**2. दिनांक 03.12.2019 को माननीय न्यायालय द्वारा प्रिंसिपल रजिस्ट्रार को आदेशित आदेश जिसमें अनेक्सचर P/3 के सम्बन्ध में की गई जाँच रिपोर्ट की अभिप्रमाणित प्रति।"**

**उपरोक्त चाही गयी जानकारी निम्नलिखित कारणों से प्रदाय नहीं की जा सकती है :–**

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) के तहत मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के सक्षम प्राधिकारी ने उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश नियम (सूचना का अधिकार) 2006 घटित किया है जिसके नियम 7 (1) के अनुसार एक नागरिक आवेदन को 50/– रू शुल्क का भुगतान गैर न्यायिक स्टाम्प या ट्रेजरी चालान–रूप में तथा फॉर्म "ए" पर आवेदक की स्वयं की साक्षांकित तस्वीर चिपकाना आवश्यक है लेकिन आपने फॉर्म नंबर "ए" में आवेदन नहीं प्रस्तुत किया है और आप तस्वीर प्रमाणित करने में भी विफल रहे है और 50 रू. का भारतीय गैर–न्यायिक स्टाम्प को संलग्न करने के बजाय आपने भारतीय पोस्टल आर्डर नं. 42F 169409 रू 10/– का प्रस्तुत किया हैं जो कि मूलतः ही आपको वापिस किया जा रहा हैं।
2. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय नियम 2006 के नियम 3 (2) के अनुसार हर आवेदन केवल सूचना के एक विशेष मद के लिए किया जाएगा जबकि आपके द्वारा एक से अधिक सूचनाएं मांगी गई हैं।
3. The High Court of Madhya Pradesh [Right to Information] Rules, 2006 के नियम 8 (1) के अनुसार लोक सूचना अधिकारी न्यायिक प्रकरणों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिये जबाबदेय नहीं है जो The High Court of Madhya Pradesh Rules, 2008 के Chapter-XVIII अंतर्गत आवेदक द्वारा न्यायालय की प्रतिलिपि शाखा (Copying Section) से प्राप्त की जा सकती हैं।

**सूचना अधिनियम 2005 के अधिकार के अनुभाग 19 के अनुसार आप इस आदेश के 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी (प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खण्डपीठ) को अपील कर सकते हैं।**

संलग्न :– भारतीय पोस्टल आर्डर नं.
42F 169409 रू 10/–

(राजेश कुमार शर्मा) 25.02.2020
लोक सूचना अधिकारी सह ज्वाईंट रजिस्ट्रार,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर